न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 24/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— अमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तरडवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री महेन्द्र बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.05.2016, जिसमें अपीलांट द्वारा नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता स्व. ओम प्रकाश पुत्र नीकूराम के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 24/84 डीएम श्रीगंगानगर, पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 5827 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 19.7.12 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (एटीसी) राज. जयपुर, अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर व तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 4621 दिनांक 31.12.12 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को लाईसेंस दिया जाना ''अनुचित'' है, की टिप्पणी की गई, जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की नवीन रिपोर्ट क्रमांक 947 दिनांक 17.4.15 में आवेदक को मृतक प्रकरण में लाईसेंस दिया जाना ''उचित'' है की टिप्पणी की गई है । जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने भारत सरकार के परिपत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 31.3.10 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने करने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.16 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, साथ ही आवेदक के पिता स्व. ओम प्रकाश के नाम का शस्त्र लाईसेंस सं. 24/84 डीएम गंगानगर को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री महेन्द्र बिश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री ओम प्रकाश के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था। पिता के लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने की सहमति स्वरूप मृतक ओम प्रकाश के शेष वारिसान द्वारा शपथ पत्र दिये गये हैं। इस आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पुलिस अधीक्षक से लाईसेंस दिये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये भेज दिया। अपीलाधीन आदेश में कोई भी युक्ति–युक्त कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने का नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना माईंड एप्लाई किये प्री–ज्यूडिश होकर साईक्लो स्टाईल में आदेश पारित किया है। कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। अपीलांट अपना पुश्तैनी शस्त्र लाईसेंस के बदले अपने नाम से नया शस्त्र लाईसेंस लेना चाहता है, क्योंकि मृतक ओम प्रकाश पुत्र नीकूराम की अंतिम इच्छा थी कि उनका पुश्तैनी शस्त्र उनके पुत्र अमित कुमार को प्राप्त हो। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.12.12 व 17.4.15 में आवेदक अमित कुमार को मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की है। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता जी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से पिता के शस्त्र लाईसेंस की एवज में अपने नाम से नवीन शस्त्र लाईसेंस जारी करने बाबत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 947 दिनांक 17.4.15 में आवेदक को मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने को उचित बताया है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अपीलांट अपने मृतक पिता स्व. श्री ओम प्रकाश पुत्र नीकूराम के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को अपने नाम से दर्ज करवाने की एवज में अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाना चाहता है, जो कि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी। मृतक के शेष वारिसान द्वारा अनापत्ति स्वरूप शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में कथन किया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र व्यक्तिगत दिया जाना है, शस्त्र एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र उत्तराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 947 दिनांक 17.4.15 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने को उचित माना है तथा पुलिस रिपोर्ट में आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण भी लम्बित या दर्ज होना नहीं पाया गया है। केवल गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 का हवाला दिया गया है, जिसमें नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु यह सुनिश्चित करना अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व है कि आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति हेतु आवेदक को जरिये नोटिस अवगत करवाया जाता, परन्तु पत्रावली पर कमी–पूर्ति बाबत कोई निर्देश दिये जाने नहीं पाये गये हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

8. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर